तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी हु...
20/9/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय मुख्यालय से बाहर हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 8-11-24 को पेश हो।	
8-11-24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय मुख्यालय से बाहर हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 19-11-24 को पेश हो।	
19-11-24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय मुख्यालय से बाहर हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 10-12-24 को पेश हो।	
10-12-24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय मुख्यालय से बाहर हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 10-01-25 को पेश हो।	
10-01-25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय मुख्यालय से बाहर हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 28-01-25 को पेश हो।	
28.1.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते T.I. बहस आइन्दा 28-3-25 को पेश हो।	
28.3.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण [illegible] उप०। विपक्षीगण-एकतरफा। प्रार्थीगण [illegible] एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत O-1 R-10 [illegible] पेश किया। प्रार्थना-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] बहस सुनी। न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत O-1 R-10 स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। पत्रावली में विद्वान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:03 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-धोरीमन्ना

प्रमीला	बनाम	रवींद्रराम	
जीसीएमएस संख्या	2017/00085	किस्म मुकदमा	88,53,188 RT Act

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने पर उक्त आराजी में तार्फेलका निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। मैंने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। चूंकि मूल वाद प्राथमिक डिक्री हो चुका है तथा अंतिम डिक्री होना तय है। अत न्यायहित में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः मौजा जोधारों का तला, परवार हलका मांगता के तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 208/66.085 है के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष में बनाए रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के फैसले तक तार्फेलका कन्फर्म की जाती है। ... को तहरीर जावे। ... शुमार होकर मूल वाद के साथ नथी हो। (हस्ताक्षर) **सहायक कलक्टर** **SDO धोरीमन्ना**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:03 IST
Reason: SelfAttested